

बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग

नियोजन हेतु विज्ञापन

पथ निर्माण विभाग में भू-अर्जन कोषांग के लिए मुख्य भू-अर्जन विशेषज्ञ एवं भू-अर्जन विशेषज्ञ के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है :-

पद का नाम	पदों की संख्या	योग्यता एवं अनुभव	मासिक मानदेय (रूपये में)
मुख्य भू-अर्जन विशेषज्ञ	01	भारतीय प्रशासनिक सेवा या बिहार प्रशासनिक सेवा के संयुक्त सचिव से अन्वून स्तर पर सेवारत अथवा सेवा निवृत्त पदाधिकारी।	सेवारत पदाधिकारी को नियमानुसार वेतन तथा सेवा निवृत्त अधिकारी को सेवा निवृत्ति के समय प्राप्त मूल वेतन एवं ग्रेड-पे तथा उस पर तत्समय देय महंगाई भत्ता का योगफल में से मूल पेंशन (Commutation सहित) एवं उस पर सेवा निवृत्ति की तिथि को देय महंगाई राहत का योगफल घटाने पर जो राशि आयेगा, वही राशि मानदेय/संविदा वेतन के रूप में अनुमान्य होगा। परन्तु पेंशन पर महंगाई राहत मिलता रहेगा।
भू-अर्जन विशेषज्ञ	02	बिहार प्रशासनिक सेवा के उप सचिव से अन्वून स्तर पर कार्यरत अथवा सेवा निवृत्त पदाधिकारी।	सेवारत पदाधिकारी को नियमानुसार वेतन तथा सेवा निवृत्त अधिकारी को सेवा निवृत्ति के समय प्राप्त मूल वेतन एवं ग्रेड-पे तथा उस पर तत्समय देय महंगाई भत्ता का योगफल में से मूल पेंशन (Commutation सहित) एवं उस पर सेवा निवृत्ति की तिथि को देय महंगाई राहत का योगफल घटाने पर जो राशि आयेगा, वही राशि मानदेय/संविदा वेतन के रूप में अनुमान्य होगा। परन्तु पेंशन पर महंगाई राहत मिलता रहेगा।

नियुक्ति हेतु शर्तें :-

1. सेवारत पदाधिकारी की सेवा प्रतिनियुक्ति के आधार पर ली जायेगी। सेवारत पदाधिकारी जिस विभाग में कार्यरत है वहाँ से उन्हे अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना होगा।
2. सेवा निवृत्त पदाधिकारी का चयन संविदा के आधार पर प्रथमतः 01 (एक) वर्ष के लिए होगा। जिसे आवश्यकतानुसार सक्षम प्राधिकार द्वारा बढ़ाया जा सकता है।
3. आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तिथि को आयु 64 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
4. सेवारत पदाधिकारी को नियमानुसार वेतन तथा सेवा निवृत्त अधिकारी को सेवा निवृत्ति के समय प्राप्त मूल वेतन एवं ग्रेड-पे तथा उस पर तत्समय देय महंगाई भत्ता का योगफल में से मूल पेंशन (Commutation सहित) एवं उस पर सेवा निवृत्ति की तिथि को देय महंगाई राहत का योगफल घटाने पर जो राशि आयेगा, वही राशि मानदेय/संविदा वेतन के रूप में अनुमान्य होगा। परन्तु पेंशन पर महंगाई राहत मिलता रहेगा।
5. सेवा निवृत्ति और संविदा नियोजन के बीच वेतन/पेंशन पुनरीक्षण हो जाने की स्थिति में भी निर्धारित मानदेय अपरिवर्तित रहेगा।

6. वैसे पदाधिकारी जिन पर कोई निगरानी का मामला/विभागीय कार्यवाही/गंभीर आरोप विचाराधीन/दण्ड अध्यारोपित हो/आपराधिक मामला दर्ज हो, की सेवाएँ नहीं ली जायेगी।
7. संविदा के आधार नियोजित व्यक्ति सरकारी सेवक नहीं माने जायेंगे एवं नियोजन के पश्चात सरकारी सेवा में नियमितिकरणका दावा मान्य नहीं होगा।
8. अनुबंध समाप्ति के पूर्व यदि नियोजित पदाधिकारी का पुनर्नियोजन नहीं होता है, तो वैसी स्थिति में निर्धारित तिथि को उनका अनुबंध स्वतः समाप्त माना जायेगा और इसके लिए आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित नहीं होगा।
9. विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र पुरी तरह से भरकर पथ निर्माण विभाग (मुख्यालय), विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना-800015 में दिनांक 22.09.2017 के अपराह्न 5.00 बजे तक निबंधित डाक/स्पीट पोस्ट द्वारा स्वीकार किया जायेगा। निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात पथ निर्माण विभाग (मुख्यालय) में प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।
10. व्यक्तिगत साक्षात्कार के आधार पर चयन किया जायेगा।
11. उक्त पद के लिए नियोजन की प्रक्रिया को किसी भी समय बिना कारण बताये रद्द करने का अधिकार पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पास सुरक्षित होगा एवं इसके विरुद्ध कोई दावा मान्य नहीं होगा।

1-9-17

(राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता)
अपर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग

(मुख्य भू-अर्जन विशेषज्ञ/भू-अर्जन विशेषज्ञ पद पर नियोजन हेतु आवेदन का विहित प्रपत्र)

1.	पद का नाम (जिसके लिए आवेदन दिया जा रहा है)													
2.	विभाग/कार्यालय का नाम													
3.	अभ्यर्थी का नाम													
4.	पिता/पति का नाम													
5.	अभ्यर्थी की जन्म तिथि													
6.	सेवा निवृत्ति की तिथि													
7.	श्रेणी (अ०जा०/अ०जा०जा० / पि०व०/ अ०पी०व०/ सामान्य)													
8.	राष्ट्रीयता													
9.	पद नाम (जिस पद पर कार्यरत या जिस पद से सेवा निवृत्त हुए हैं)।													
10.	विभाग/कार्यालय का नाम, (जहाँ पर कार्यरत या जहाँ से अभ्यर्थी सेवा निवृत्त हुए हैं)													
11.	विभाग/कार्यालय में कार्यानुभव की अवधि													
12.	अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई आपराधिक वाद/निगरानी वाद/विभागीय कार्यवही लंबित है या नहीं। (पूर्ण विवरण अपेक्षित)													
13.	असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र संलग्न है या नहीं													
14.	अभ्यर्थी की पिछले पाँच वर्षों की वार्षिक गोपनीय अभ्युक्ति/कार्य मुल्यांकन प्रतिवेदन का विवरण	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;"><u>वर्ष</u></td> <td style="text-align: center;"><u>अभ्युक्ति</u></td> </tr> <tr> <td>1.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td></td> </tr> </table>	<u>वर्ष</u>	<u>अभ्युक्ति</u>	1.		2.		3.		4.		5.	
<u>वर्ष</u>	<u>अभ्युक्ति</u>													
1.														
2.														
3.														
4.														
5.														
15.	फोन नं० मोबाईल नं० ईमेल													
16.	पता— स्थायी पता— पत्राचार का पता—													

अपना पासपोर्ट साईज
फोटो चिपकायें

(25) 370 370 (अनु०)

17.	कार्यानुभव (सेवा निवृत्त पदाधिकारी PPOकी प्रति संलग्न करें)	
18. घोषणा मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि जहाँ तक मेरी जानकारी और विश्वास है कि इस आवेदन पत्र की प्रविष्टियाँ सच्ची/पूरी और सही है। यदि कोई सूचना झूठी या गलत पायी जाय या चयन के पहले या बाद में अपात्रता का पता चल जाये तो विभाग मेरी उम्मीदवारी रद्द के साथ-साथ मेरे विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई कर सकता है।		

अभ्यर्थी का पुरा हस्ताक्षर (हिन्दी में)

स्थान.....

दिनांक.....

अभ्यर्थी का पुरा हस्ताक्षर (अंग्रेजी में)